(4) श्री मो. अमीन, — सदस्य पुत्र श्री शेख अहमद तहसील मोहल्ला, वार्ड नं. 16, रायसेन.

- (5) शहर काजी-आरिफ बारी, सदस्य आष्टा जिला सीहोर.
- (2) सिमिति का कार्यकाल दिनांक 26 अगस्त 2012 से आगे दो वर्ष का होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मई 2013

एफ. क्र. 15-01-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कॉलम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : पिपलोदा, जिला : रतलाम

अधिकार अभिलेख ग्राम का नाम एवं प. ह. नं. क्र. तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (3) (1)(2) 01. मूल ग्राम—आम्बा अधीक्षक, भू-अभिलेख 1 नवीन ग्राम—कुण्डाल (नियमित), जिला रतलाम. 02. नवीन ग्राम—देवगढ् 03. नवीन ग्राम—दौलतपुरा 04. नवीन ग्राम—अचलपुरा 05. नवीन ग्राम—जम्बूडाबरा 06. नवीन ग्राम—बामनघाटी

नवीन ग्राम—बखतपुरा

(1) (2) (3)

09. नवीन ग्राम—लाम्बाखोरा प.ह.नं. 34.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मई 2013

पृष्ठां क्र. एफ. 15-05-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15-05-2013-सात-6, दिनांक 27 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 27th May 2013

F. No. 15-05-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in coloume (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil: Piploda, District: Ratlam

| S. N. | Nai | me of | original | village | Designation of the |
|-------|-----|--------|----------|-----------|--------------------|
| | | | | | Officer authorized |
| | | | | | to prepare |
| | | | | | record of rights |
| (1) | | | (2) | | (3) |
| 1. | 01. | Org. | Vill.—A | amba | Superintendent of |
| | 02. | New | Vill.—K | undal | Land Records |
| | 03. | New | Vill.—D | evgarh | (Permanent), |
| | 04. | New | Vill.—D | oulatpura | District-Ratlam. |
| | 05. | Org. | Vill.—A | chalpurh | |
| | 06. | Org. | Vill.—Ja | mbudabra | |
| | 07. | Org. | Vill.—B | amanghati | |
| | 08. | New | Vill.—B | akhatpura | |
| | 09. | New | VillL | ambakhora | ì |
| | | P.H. 1 | No. 34. | | |
| | | | | | |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHOK GUPTA, Addl. Secv.